बिजली चोरी में गिफ्ट शॉप के मालिक को दो साल की सश्रम कैद, 7.1 लाख रूपये जुर्माना

सब्जियों के व्यवसायी को छह माह की जेल, 1.14 लाख जुर्माना

नई दिल्लीः 8 दिसंबर, 2015। बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी से जुड़े दो अलग–अलग मामलों में दिल्ली के दो व्यवसाइयों को जेल और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। पालम में गिफ्ट शॉप के मालिक को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही, उसे 7.1 लाख रूपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है। वहीं, सीलमपुर निवासी, सब्जियों के व्यवसायी को 6 माह की जेल और 1.14 लाख रूपये जुर्माने की सजा दी गई है।

पालम इलाके में गिफ्ट शॉप के मालिक राज कुमार को 12 किलोवॉट बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा गया था। वह मीटर के साथ छेड़छाड़ कर बिजली की चोरी कर रहे थे। द्वारका स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें बिजली चोरी का दोषी करार देते हुए, दो साल के सश्रम कैद की सजा सुनाई है और 7.1 लाख रूपये जुर्माने का भुगतान करने को भी कहा है। इस जुर्माने में फाइन व सिविल लयबिलिटी शामिल हैं। यदि वह जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें और छह महीने साधारण कैद में जेल में गुजारने होंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धाराओं 135 और 150 के तहत उन पर मामला चलाया गया था।

राज कुमार के मामले में फैसला सुनाते हुए अडिशनल सेशन जज श्री गुलशन कुमार ने कहा– बिजली चोरी की वजह से राज्य के खजाने को हर वर्ष सैकड़ों करोड़ रूपये का नुकसान होता है। दोषी व्यक्ति द्वारा बिजली का अंधाधुंध उपयोग किया गया क्योंकि वह जानता था कि बिजली की खपत के बदले उसे कोई भुगतान नहीं करना होगा। इस तरह के दोषियों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जानी चाहिए। मेरे हिसाब से दोषी व्यक्ति किसी भी नरमी का हकदार नहीं है।

उधर, सीलमपुर सीलमपुर निवासी, सब्जियों के व्यवसायी फहीम को बिजली चोरी के जुर्म में 6 माह की जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही, उन्हें सिविल लायबिलिटी के तौर पर 1.14 लाख रूपये जुर्माना भरने को भी कहा गया है। फहीम को बिजली के डिस्ट्रिब्यूशन बॉक्स से करीब 4.5 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी करते हुए पकड़ा गया था।

फहीम के मामले में फैसला सुनाते हुए कड़कड़डूमा स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट के अडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जेज श्री सुनील राणा ने कहा– इन परिस्थितियों में, और दोषी व्यक्ति की उम्र व पिछले रेकॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है कि सजा के मामले में थोड़ी नरमी दिखाई जा सकती है। इस तरह, दोषी को, सिर्फ एक्ट की धारा 135 के तहत दंडणीय अपराध के तौर पर, छह माह की साधारण कैद की सजा सुनाई जाती है।

जेल के अलावा, फहीम को सिविल लायबिलिटी के तौर पर 1.14 लाख रूपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है।